मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 295 /प्र0खण्ड जोन – सी /2018 दिनांक : 05-09-18

सेवा में,

श्री मै० रेनुका रियल्टर्स प्रा० लि०
द्वारा डायरेक्टर अशोक कुमार गर्ग
ग्राम मोलधाना, मेरठ।

विषय— भूखण्ड संख्या 86पार्ट, 87पार्ट, 88पार्ट, 89पार्ट पर निर्मित भवन के निर्माण के शमन मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक स्वीकीय शमन आवेदन दिनांक 22-12-2017 शपथ पत्र एवं शमन मानचित्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे । आपके आवेदन पर सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 8-01-18 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आपके द्वारा शमन एवं अन्य धनराशि रूपये 22,53,423-00 .... रसीद संख्या PLN 0603108 दिनांक —— के द्वारा जमा किये जाने पर शमन मानचित्र में प्रस्तावित निर्माण को निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान करते हुए शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है । .

1— निर्मित भवन में प्रयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा

2— रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नियमानुसार सपूर्ति प्रमाण पत्र लेने से पूर्व मौके पर सुनिश्चित करनी होगी (300.00 वर्ग मीटर अथव इससे अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल होने पर लागू)

3— स्वीकृत शमन मानचित्र में स्वीकृति आच्छादन के अनुसार आवश्यकत वृक्षारोपण सुनिश्चित करना होगा ।

4— शपथ–पत्र दिनांक 8-1-18 में दिये गये बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।

5— उपरोक्त बिन्दु 2 से 4 तक की शर्तो के अनुपालन के उपरान्त ही संपूर्ति प्रमाण–पत्र हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होगा ।

6— भवन की स्ट्रेक्चलन सेफ्टी के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

7— शमन उपरान्त स्वीकृति इकाईयों से अधिक इकाईयों का निर्माण नहीं करेंगे ।

8— शमन मानचित्र की स्वीकृति के मद में गणनाओं में त्रुटिवश यदि कोई धनराशि शेष रह जाती है तो प्राधिकरण में जमा करानी होगी ।

9— शमन मानचित्र में दर्शाये गये तथ्यों में से यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

10— शमनित भवन की गुणवत्ता मान्य तकनीकी मानकों, स्ट्रक्चरल डिजाईन आदि में कमी अथवा अन्य किसी दोष के कारण यदि भवन में अथवा भवन के परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो समस्त दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

11— पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या 1181 /12 / जोन प्र0ख0 जोन C /1 दिनांक 14-3-14 एवं अन्य में दी गई शर्तो एवं उपरोक्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।

12— अशमनीय भाग को 30 दिन के अन्दर तोडकर भवनस्वामी स्वयं प्राधिकरण को सूचित करेंगे यथा शमन स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी ।

13— मानचित्र स्वीकृति एवं एन.जी.टी. की समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तो का उल्लघंन किये जाने की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तदायी होंगे ।

संलग्नक— शमन मानचित्र की एक प्रति उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,
5.9.18

जोनल अधिकारी (जोन–सी)
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ ।